"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 नवम्बर 2006—कार्तिक 27, शक 1928

कार्यालय विधि एवं विधायी (निर्वाचन कार्य विभाग)
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :— राज्य विधान सभाओं के लिये उप-निर्वाचन 2006 में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2006

क्रमांक/92/सोड/वि. स. उपनिर्वा/EVM/2004/1179.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार 25-कोटा विधान सभा उप-निर्वाचन 2006 में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक सं. 576/3/ई.वी.एम./2006/न्या. अनु. II (वि. स.) दिनांक 14 नवम्बर, 2006 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(एस. आर. बांधे)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2006

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2006/न्या. अनु. II (वि. स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यत:, आयोग ने अरूणाचल प्रदेश में 43-रोइंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में 146—मनिहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 25—कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 117—चमुण्डेश्वरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, करेल में 28—तिरूवामवादी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में 193—पनधाना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 118—दरयापुर और 158—चिमुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मेघालय में 39—रोंगजेंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 135—डूंगरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 28—इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

3. अत:, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा अरूणाचल प्रदेश में 43—रोइंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में 146—मनिहारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 25—कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 117—चमुण्डेश्वरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, करेल में 28—तिरूवामवादी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 193—पनधाना (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में 118—दरयापुर और 158—चिमुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मेघालय में 39—रोंगजेंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 135—डूंगरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 28—इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 10 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित विधान सभा के लिए उप निर्वाचन में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachn Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, dated 14th November, 2006

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2006/JS-II (LA).—Whereas, Section 61A of the representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 43—Roing (ST) Assembly Constituency in Arunachal Pradesh, 146—Manihari Assembly Constituency in Bihar, 25—Kota Assembly Constituency in Chhattisgarh, 117—Chamundeshwari Assembly Constituency in Karnataka, 28—Thiruvambadi Assembly Constituency in Kerala, 193—Pandhana (SC) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 118—Daryapur and 158—Chimur Assembly Constituencies in Maharastra, 39—Rongjeng (ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 135—Dungarpur Assembly Constituency in Rajasthan and 28—Islampur Assembly Constituency in West Bengal, and it is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 43—Roing (ST) Assembly Constituency in Arunachal Pradesh, 146—Manihari Assembly Constituency in Bihar, 25—Kota Assembly Constituency in Chhattisgarh, 117—Chamundeshwari Assembly Constituency in Karnataka, 28—Thiruvambadi Assembly Constituency in Kerla, 193—Pandhana (SC) Assembly Constituency in Mahdya Pradesh, 118—Daryapur and 158—Chimur Assembly Constituencies in Maharashtra, 39—Rongjeng (ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 135—Dungarpur Assembly Constituency in Rajasthan and 28—Islampur Assembly Constituency in West Bengal, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said States notified on 10th November, 2006, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd/-

(K. F. WILFRED)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.